[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 4th January, 2017

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 and in pursuance of sub-section (2) of the said section of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations as specified in column (3) of the said Table, to a private company which is licensed to operate by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as "Specified IFSC private company"), namely:-

Serial Number	Provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	Exceptions/Modifications/Adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Clause (41) of section 2	In clause (41), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that in case of a Specified IFSC private company, which is a subsidiary of a foreign company, the financial year of the subsidiary may be same as the financial year of its holding company and approval of the Tribunal shall not be required.".
2.	Sub-section (2) of section 3	In sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC private company shall be formed only as a company limited by shares.".
3.	Clause (a) of sub-section (1) of section 4	In clause (a) of sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC private company shall have the suffix "International Financial Service Company" or "IFSC" as part of its name.".

4.	Clause (c) of sub-section (1) of section 4	In clause (c) of sub-section (1) of section 4 , the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC private company shall state its objects to do financial services activities, as permitted under the Special Economic Zones Act, 2005 read with the Special Economic Zones Rules, 2006 and any matter considered necessary in furtherance thereof, in accordance with license to operate, from International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone, granted by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India. ".
5.	Sub-section (1) of section 12	In sub-section(1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that a Specified IFSC private company shall have its registered office at the International Financial Services Centre located in the approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 read with the Special Economic Zones Rules, 2006, where it is licensed to operate, at all times.".
6.	Sub-section (2) of section 12	For the words "thirty days" read as "sixty days".
7.	Sub-section (4) of section 12	For the words "fifteen days" read as "sixty days".
8.	Sub-section (5) of section 12	For sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(5) Except on the authority of a resolution passed by the Board of Directors, the registered office of the Specified IFSC private company shall not be changed from one place to another within the International Financial Services Centre: Provided that a Specified IFSC private company shall not change the place of its registered office to any other place outside the International Financial Services Centre.".
9.	Section 21	For the words "an officer" read as "an officer or any other person".

10.	Sub-sections (3) and (7) of section 42	Shall not apply.
11.	Sub-section (6) of section 42	For the words "sixty days" read as "ninety days".
12.	Clause (c) of sub-section (1) of section 54	Shall not apply.
13.	Sub-section (4) of section 56	In sub-section (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC private company shall deliver the certificates of all securities to subscribers after incorporation, allotment, transfer or transmission within a period of sixty days.".
14.	Sub-section (1) of section 82	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC private company, the Registrar may, on an application by the company, allow such registration to be made within a period of three hundred days of such creation on payment of such additional fees as may be prescribed.".
15.	Sub-section (6) of section 89	For the words "thirty days" read as "sixty days".
16.	Sub-section (3) of section 92	Shall not apply.
17.	Sub-section (1) of section 100	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC private company, the Board may subject to the consent of all the shareholders, convene its extraordinary general meeting at any place within or outside India.".
18.	Sub-section (1) of section 117	For the words "thirty days" read as "sixty days".

19.	Sub-section (1) of section 118	In sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC private company, the minutes of every meeting of its Board of Directors or of every committee of the Board, to be prepared and signed in the manner as may be prescribed under sub section (1) at or before the next Board or committee meeting, as the case may be and kept in books kept for that purpose.".
20.	Sub-section (10) of section 118	Shall not apply.
21.	Sub-section (3) of section 134	In sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC private company, if any information listed in this sub-section is provided in the financial statement, the company may not include such information in the report of the Board of Directors.".
22.	Section 135	Shall not apply for a period of five years from the commencement of business of a Specified IFSC private company.
23.	Section 138	Shall apply if the articles of the company provides for the same.
24.	Fourth proviso to sub-section (1) of section 139	For the words "fifteen days" read as "thirty days".
25.	All provisos to sub-section (2) of section 139	Shall not apply.
26.	Sub-section (1) of section 140	In sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that in case of a Specified IFSC private company, where, within a period of sixty days from the date of submission of the application to the Central Government under this sub-section, no decision is communicated by the Central Government to the company, it would be deemed that the Central Government has approved the application and the

		company shall appoint new auditor at a general meeting convened within three months from the date of expiry of sixty days period.".
27.	Sub-section (3) of section 149	In sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that this sub-section shall apply to the Specified IFSC private company in respect of financial years other than the first financial year from the date of its incorporation.".
28.	Sub-section (3) of section 161	In sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a Specified IFSC private company, the Board may appoint, any person nominated by any institution or company or body corporate as a director in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or by the Central Government or the State Government by virtue of its shareholding in a Government company.".
29.	Proviso to sub-section (1) of section 168	For the word "shall" read as "may".
30.	Sub-section (2) of section 170	For the words "thirty days" at both places read as "sixty days".
31.	Sub-section (1) of section 173	In sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that a Specified IFSC private company shall hold the first meeting of the Board of Directors within sixty days of its incorporation and thereafter hold at least one meeting of the Board of Directors in each half of a calendar year.".
32.	Sub-section (3) of section 174	Shall apply with the exception that interested director may participate in such meeting provided the disclosure of his interest is made by the concerned director either prior or at the meeting.
33.	Sub-section (3) of section 179	In sub-section (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that in case of a Specified IFSC private company, the Board can exercise the powers by means of resolutions passed at the meetings of the Board or through resolutions passed by circulation.".

34.	Sub-section (1) of section 185	In the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:- "(c) any private company of which any such director is a director or member in which director of the lending company do not have direct or indirect shareholding through themselves or through their relatives and a special resolution is passed to this effect.".
35.	Sub-section (1) of section 186	Shall not apply.
36.	Sub-sections (2) and (3) of section 186	Shall not apply, if a company passes a resolution either at meeting of the Board of Directors or by circulation.
37.	Sub-section (5) of section 186	In sub-section (5), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that in case of a Specified IFSC private company, the Board can exercise powers under this sub-section by means of resolutions passed at meetings of the Board of Directors or through resolutions passed by circulation.".
38.	Sub-section (2) of section 384	In sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that notwithstanding anything contained in this Act, the exemptions provided under section 92 to companies incorporated under this Act for the purpose of operating from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006, shall apply *mutatis mutandis* to a foreign company registered under Chapter XXII of this Act, which has a place of business or which conducts business activity from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zones Rules, 2006.".
39.	Sub-section (4) of section 384	In sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that notwithstanding anything contained in this Act, the exemptions provided under Chapter VI to companies incorporated under this Act for the purpose of operating from

		the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006, shall apply *mutatis mutandis* to a foreign company registered under Chapter XXII of this Act, which has a place of business or which conducts business activity from the International Financial Services Centre located in an approved multi services Special Economic Zone set-up under the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zones Rules, 2006." .

2. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of the Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

[F.No.3/1/2015-CL.I]

04/01/2017

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड -3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. .... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में लोकहित में निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) कतिपय उपबंध, सारणी के स्तंभ (2) में यथाविविनिर्दिष्ट, किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे या उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और रूपांतरणों के साथ लागू होंगे जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अंतर्गत स्थापित किसी अनुमोदित बहु सेवा विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से परिचालन करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी" कहा गया है), अर्थात्-

क्रम संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंध	अपवाद/उपांतरण/रूपांतरण
(1)	(2)	(3)
1	धारा 2 का खंड	खंड (41) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक

	(41)	अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह भी कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, जो किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी कंपनी है, के मामले में समनुषंगी कंपनी का वित्तीय वर्ष वही होगा जो उसकी नियंत्री कंपनी का है और इसके लिए अधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा"।
2	धारा 3 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी केवल शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में ही गठित की जाएगी।"।
3	धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (क)	उपधारा (1) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के नाम के भाग के रूप में इसके अंत में "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी" या "आईएफएससी" प्रत्यय रखा जाएगा।"।
4	धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (ग)	धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु कि कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथा अनुमत्त किसी अनुमोदित बहुल सेवा विशेष आर्थिक जोन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसरण में वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के अपने उद्देश्य और उसको बढावा देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मामलों का उल्लेख करेगी।"
5	धारा 12 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी का

		रजिस्ट्रीकृत कार्यालय विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित अनुमोदित बहु सेवा विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में होगा जहां इसे सभी समयों पर परिचालन करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है।"
6	धारा 12 की उपधारा (2)	'तीस दिन' शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
7	धारा 12 की उपधारा (4)	'पंद्रह दिन' शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
8	धारा 12 की उपधारा (5)	उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- "(5) निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प के प्राधिकार के सिवाए, किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा: परंतु कोई विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान नहीं बदलेगी"।
9	धारा 21	"ऐसे किसी अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति" के रूप में पढा जाएगा।
10	धारा 42 की उपधाराएं (3) और (7)	लागू नहीं होगा।
11	धारा 42 की उपधारा (6)	"साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" के रूप में पढ़ा जाएगा।
12	धारा 54 की उपधारा (1) का खंड (ग)	लागू नहीं होगा।
13	धारा 56 की उपधारा (4)	उपधारा (4) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह भी कि विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी

		निगमन, आबंटन, अंतरण या संप्रेषण किए जाने के साठ दिन के भीतर अंशदाताओं को सभी प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र परिदान करेगी।"।
14	धारा 82 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा आवेदन करने पर ऐसे सृजन के तीन सौ दिन के अंदर अतिरिक्त फीस, जो भी विहित की जाए, का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा।"।
15	धारा 89 की उपधारा (6)	'तीस दिन' शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाएगा।
16	धारा 92 की उपधारा (3)	लागू नहीं होगा।
17	धारा 100 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों की सम्मति होने के अधीन इसकी असाधारण साधारण अधिवेशन का आयोजन भारत में या बाहर किसी भी स्थान पर कर सकता है।"।
18	धारा 117 की उपधारा (1)	'तीस दिन' शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाएगा।
19	धारा 118 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में इसका निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति की प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाने वाले रीति से यथास्थिति या निदेशक मंडल या समिति की आगामी अधिवेशन के समक्ष तैयार और हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा उस प्रयोजन के लिए इन्हें बहियों में रखा जाएगा।"।

20	धारा 118 की उपधारा (10)	लागू नहीं होगा।
21	धारा 134 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में यदि इस उपधारा में सूचीबद्ध कोई सूचना वित्तीय कथन में उपबंधित किया है, वह कंपनी उस ऐसी सूचना को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मलित नहीं करेगी।"।
22	धारा 135	किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी द्वारा कारबार प्रारंभ करने के पांच वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगी।
23	धारा 138	तभी लागू होगी जबकि कंपनी के अनुच्छेदों में यह उपाबंध हो।
24	धारा 139 की उपधारा (1) का चौथा परंतुक	'पंद्रह दिन' शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
25	धारा 139 की उपधारा (2) के सभी परंतुक	लागू नही होंगे।
26	धारा 140 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और भी कि विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में जहां इस उपधारा के अधीन केंद्रीय सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की अवधि में कंपनी को केंद्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है वहां यह समझा जाएगा कि केंद्रीय सरकार ने आवेदन का अनुमोदन कर दिया है और कंपनी साठ दिन की अवधि समाप्त होने के तीन माह के अंदर एक साधारण अधिवेशन बुला कर नया लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी।"।
27	धारा 149 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह उपधारा विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के

		लिए इसके निगमन की तारीख से पहले वित्तीय वर्ष से भिन्न अन्य वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होगी।"।
28	धारा 161 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु किसी विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में निदेशक मंडल किसी समयतर प्रवृत्त नियम या किसी करार के उपाबंधों के अनुसरण में, किसी संस्थान या कंपनी या कारपोरेट नियम द्वारा या किसी सरकारी कंपनी में उसकी शेयरधारिता के आधार पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त अवधि के लिए एक निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।"।
29	धारा 168 की उपधारा (1) का परंतुक	"करेगी" शब्द के स्थान पर "किया जा सकता है" के रूप में पढ़ा जाए।
30	धारा 170 की उपधारा (2)	दोनों स्थानों पर "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" के रूप में पढ़ा जाए।
31	धारा 173 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और भी कि एक विविनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी निदेशक मंडल के पहले अधिवेशन इसके निगमन के साठ दिनों के भीतर करेगी और इसके तत्पश्चात् प्रत्येक कलैंडर वर्ष छः माह में निदेशक मंडल की न्यूनतम एक अधिवेशन का आयोजन करेगी।"।
32	धारा 174 की उपधारा (3)	इस अपवाद के साथ लागू नहीं होगा कि हितबद्ध निदेशक ऐसी अधिवेशन में भाग ले सकता है बशर्ते कि संबंधित निदेशक द्वारा उस अधिवेशन से पहले या अधिवेशन के दौरान उसके हित का प्रकटीकरण किया गया हो।
33	धारा 179 की उपधारा (3)	उपधारा (3) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और भी कि किसी विविनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में, निदेशक मंडल अधिवेशनों में

		पारित संकल्पों के माध्यम से या परिचालन द्वारा पारित संकल्पों से शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"।
34	धारा 185 की उपधारा (1)	स्पष्टीकरण में खंड (ग) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:- "(ग) कोई प्राइवेट कंपनी जिसका ऐसा कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है जिसमें ऋण देने वाली कंपनी के निदेशक का अपने या अपने नातेदारों के माध्यम से और इस प्रभाव से पारित विशेष संकल्प के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता न हो।"।
35	धारा 186 की उपधारा (1)	लागू नहीं होगी।
36	धारा 186 की उपधारा (2) और (3)	लागू नहीं होगी, यदि कोई कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के अधिवेशन में या फिर परिचालन द्वारा कोई संकल्प पारित किया गया हो।
37	धारा 186 की उपधारा (5)	उपधारा (5) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि किसी विविनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के मामले में, मंडल इस उपधारा के अधीन निदेशक मंडल अधिवेशनों में पारित संकल्पों के उपाय से या परिचालन द्वारा पारित संकल्पों से शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"।
38	धारा 384 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक स्वीकृत बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन में प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से संचालन के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन निगमित कंपनियों को धारा 92 के अधीन दी गई छूटें इस अधिनियम के अध्याय 22 के तहत रजिस्ट्रीकृत किसी विदेशी कंपनी पर अनिवार्य परिवर्तनों सहित लागू की जाएगी, जिसका कारबार स्थान विशेष आर्थिक जोन

		अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वीकृत बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन मे स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में है या जो ऐसे स्थल से कारबार कार्यकलाप संचालित करता है।"।
39	धारा 384 की उपधारा (4)	उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006, के तहत स्थापित एक स्वीकृत बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से संचालन के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत निगमित कंपनियों को अध्याय VI के अधीन दी गई छूट इस अधिनियम के अध्याय XXII के तहत रजिस्ट्रीकृत किसी विदेशी कंपनी पर अनिवार्य परिवर्तनों सहित लागू की जाएगी, जिसका कारबार स्थान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वीकृत बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन मे स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में है या जो ऐसे स्थल से व्यवसाय कार्यकलाप संचालित करता है।"।

2. इस अधिसूचना की एक प्रति कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा.स. 3/1/2015-सीएल.I]

अमरदीप
04/01/2017

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार